बीवाईपीएल लोक अदालत में बिजली चोरी के 2700 मामलों का निपटारा

नई दिल्लीः 16 जनवरी, 2017। बीवाईपीएलपीएल द्वारा दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं समिति के सहयोग से आयोजित लोक अदालत में बिजली चोरी के 2700 से अधिक मामलों को ऑन–द–स्पॉट निपटारा किया गया। जिला न्यायालय, कड़कड़डूमा और पीएलए बिल्डिंग, आईटीओ में आयोजित दो दिवसीय स्पेशल लोक अदालत में शनिवार और रविवार को इन मामलों का त्वरित निपटारा किया गया। इस लोक अदालत में कुल 20 करोड़ रूपये की बिजली चोरी के मामलों का निपटारा हुआ। यह लोक अदालत इस मामले में ऐतिहासिक साबित हुई कि इसने बिजली चोरी के मामले निपटाने संबंधी पुराने सारे रेकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। यह एक ग्रीन लोक अदालत थी, जसमें करीब 30 हजार ए4 शीट्स की बचत हुई।

शनिवार और रविवार की देर शाम तक चली इस लोक अदालत में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया और बिजली चोरी से जुड़े अपने मामलों का निपटारा करवाया। अपने मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत पहुंचे उपभोक्ताओं में, घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा, उद्योगपति, फैक्टरी मालिक, बिजनेसमैन और नौकरीपेशा लोग भी शामिल थे।

कटिया डालकर बिजली की सीधी चोरी, और मीटर से छेड़छाड़ कर की जाने वाली बिजली की चोरी से जुड़े उन तमाम मामलों को यहां निपटाया गया, जो या तो किसी अदालत या फोरम में लंबित थे, या जिन्हें फिर जिन मामलों को अब तक अदालतों में दाखिल नहीं किया गया था। बीवाईपीएल ने नोटिस के माध्यम से बिजली चोरी में शामिल उपभोक्ताओं से अपील की थी कि वे अपने मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत का लाभ उठाएं। लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए एफएम चैनलों, पर्चे–पोस्टरों आदि का भी इस्तेमाल किया गया था।

जिन उपभोक्ताओं के मामलों का निपटारा लोक अदालत में किया गया, उन्हें तय रकम के भुगतान के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति को देखते हुए मानवीय आधार पर उन्हें किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई है।

दो दिवसीय लोक अदालत के माध्यम से पूर्वी और मध्य दिल्ली में रहने वाले बीवाईपीएल उपभोक्ताओं/ याचिकाकर्ताओं को एक आखिरी, वन–टाइम अवसर मुहैया कराया गया, ताकि बिजली चोरी से संबंधित उनके मामलों का तत्काल तथा परस्पर स्वीकार्य ढंग से निपटारा किया जा सके। डिफॉल्ट की स्थिति में, कंपनी ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 2003 के प्रावधानों के तहत, आपराधिक कानूनी प्रक्रिया शुरू करने को बाध्य होगी।

लोक अदालत में, बिजली की सीधी चोरी और मीटर से छेड़छाड़ कर जाने वाली चोरी–– दोनों तरह के मामलों का निपटारा किया गया। जो मामले किसी अदालत में लंबित थे और जिन मामलों अदालतों में दाखिल किया जाना था–– दोनों ही तरह के मामलों का यहां निपटारा किया गया।

बिजली चोरी मामले के निपटारे तथा तय रकम के भुगतान के बाद, बीवाईपीएल ने उपभोक्ताओं को ऑन–द–स्पॉट बिजली के नए कनेक्शन/री–कनेक्शन के लिए आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई। इसके अलावा, जो उपभोक्ता 7 दिन के भीतर तय रकम का भुगतान कर देंगे, उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं भी दी गईं।

लोक अदालत से संबंधित 31,000 पत्र/ नोटिस उपभोक्ताओं/ याचिकाकर्ताओं को भेजे गए थे, जिनमें सर्वाधिक मामले दरियागंज डिविजन के थे। उसके बाद, यमुना विहार, जीटी रोड, पहाड़गंज, नंद नगरी और चांदनी चौक डिविजनों से जुड़े मामले थे।

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, 14–15 जनवरी को आयोजित बीवाईपीएल लोक अदालत, और 10–11 दिसंबर को आयोजित बीआरपीएल लोक अदालत, दोनों को मिलाकर बिजली चोरी से संबंधित करीब 5000 मामलों का तत्काल निपटारा किया गया। ये 40 करोड़ से अधिक के मामले थे।

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, लोक अदालत सभी के लिए सार्थक रहा। उपभोक्ताओं को अपने मामलों के त्वरित निपटारे और लंबी व खर्चीली कानूनी प्रक्रिया से निजात पाने का मौका मिला। न्यायपालिका के लिए भी यह अच्छा मौका रहा क्योंकि कई मामलों का निपटारा एकसाथ हो गया। और, बीएसईएस के लिए तो यह अच्छा रहा ही, क्योंकि इतने उपभोक्ताआ अब मीटरीकृत हो जाएंगे।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।

———